वित्तीय दिशा निर्देशन

कार्यक्रम का नाम –

पल्स पोलियो अभियान

बजट/एफ0एम0आर0 शीर्ष(अनुलग्नक 1 के आधार पर)

टीकाकर्मी का मानदेय

एफ0एम0आर0. कोड सं. CPP

बजट क्रम संख्या/एफ0एम0आर0 कोड संख्या
(अनुलग्नक 1 के आधार पर)

क्रम सं0 – 1

कायक्रम का संक्षिप्त विवरण (5 –10 वाक्य अधिकतम)

पोलियो को जड़ से मिटाने एवं स्वस्थ्य भारत के निर्माण हेतु पल्स पोलियो अभियान चलाया जाता है। इसके अन्तर्गत टीकाकर्मियों द्वारा क्षेत्र भ्रमण कर जन्म से पॉच वर्ष तक के सभी बच्चो को पोलियो की खुराक पिलायी जाती है।
यह गतिविधि प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के दिशा निर्देशन तथा अनुश्रवण के आधार पर पूर्व प्रशिक्षित स्थानीय टीकाकर्मी द्वारा की जाती है।
यह गतिविधि सुबह 8.00 बजे से शान के 4.00 बजे तक तथा लगातार पॉच दिनों तक चलती है।
यह गतिविधि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर बने माइक्रोप्लान के अनुसार की जाएगी।
जिसका उद्येश्य प्रा.स.के. के अन्तर्गत आने वाले सभी घरों में रहने वाले सभी 0 से 5 वर्ष के बच्चों को पोलियो की खुराक को पिलाना है।
यह गतिविधि प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के दिशा निर्देशन एवं अनुश्रवण द्वारा क्रियान्वित की जाती है।
इस गतिविधि में दो टीकाकर्मी के एक दल द्वारा माइक्रोप्लान के अनुसार घर–घर जाकर 0 से 5 वर्ष के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने के साथ बच्चे के बॉयें हाथ के कनिष्ठ उंगली के नाखून पर निशान लगाया जाता हैं। इसके साथ ही घर पर पी या एक्स के साथ घर भ्रमण संख्या, दिनांक अंकित करते हैं। यदि घर पर एक्स का मार्क पड़ता है तो टीकाकर्मी इस घर का पुनः भ्रमण करते हैं एवं छूटे हुए बच्चों को दवा पिलाने के बाद घर को एक्स से पी में परिवर्तित करते हैं। इस कार्य के प्रतिवेदन हेतु टैली शीट, नवजात शिशु पुस्तिका एवं एक्स विवरणी भरी जाती है।
परिणामों के मूल्यांकन करने हेतु टीकाकर्मी द्वारा टैली–शीट एवं एक्स विवरणी भरा जाता है।

इकाई राशि (रू0 लाख में)

रू.75/– प्रति दिन प्रति टीकाकर्मी

वित्तीय दिशा निर्देशन

प्रत्येक टीकाकर्मी को उपरोक्त गतिविधियों को सुचारू कार्यन्वित करने हेतु पचहत्तर रुपये प्रतिदिन की दर से मानदेय दिया जाना है। यह भुगतान अभियान (ए–टीम कार्य एवं बी–टीम कार्य) की समाप्ति तथा पर्यवेक्षक के इस प्रमाण–पत्र पर कि उनके क्षेत्र में कोई घर या कोई अप्रतिरक्षित बच्चा बचा हुआ नहीं है, के पश्चात किया जायेगा।

इस राशि का व्यय प्रति पोलियो चक्र के आधार पर किया जाना है। कार्यक्रम की तिथि निर्धारण के पश्चात् एवं चक्र शुरू होने के पूर्व प्रखण्डवार **Annexure - 1** में प्रत्येक गतिविधि की योजना बनाकर राज्य स्वास्थ्य समिति में राज्य प्रतिरक्षण पदाधिकारी के पास भेजना अनिवार्य है। राज्य प्रतिरक्षण पदाधिकारी यह समीक्षा करेंगें कि अनुलग्नक – 1 उचित है या नही, के समीक्षोपरान्त यदि यह पाया जाता है कि अनुलग्नक 1 की गणना उचित नही है तो रा.प्रति.पदा. सम्बन्धित पदाधिकारियों से पृच्छा करेंगें। जिला स्तर पर कार्यक्रम का क्रियान्वयन के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति का पुनः अनुमोदन की आवश्यकता नही है।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रषित किया गया हो (पत्र सं. तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क) पत्रांक SHSB/RI/49/06/Part file of VIII-9639 dated 06.04.09

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का नाम

डॉ गोपाल कृष्णा

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का फोन नंबर

9470003014 / 0612-2290351

वित्तीय दिशा निर्देशन

कार्यक्रम का नाम –

पल्स पोलियो अभियान

बजट/एफ0एम0आर0 शीर्ष(अनुलग्नक 1 के आधार पर)

पर्यवेक्षक का मानदेय

एफ0एम0आर0. कोड सं. CPP

बजट क्रम संख्या/एफ0एम0आर0 कोड संख्या (अनुलग्नक 1 के आधार पर)

2

कायक्रम का संक्षिप्त विवरण (5 –10 वाक्य अधिकतम)

टीकाकर्मी के प्रतिदिन के कार्य के पर्यवेक्षण हेतु पर्यवेक्षक नियुक्त किये जाते है जो टीकाकर्मी के द्वारा भ्रमण किये गये घरों में से कुछ घरों का भ्रमण कर टीकाकर्मी के कार्य का मुल्यांकन करते है तथा कार्य में कमी पाए जाने पर टीकाकर्मी को क्षेत्र में ही कार्य सुधार के लिए प्रोत्साहित करता है। साथ ही पर्यवेक्षक संध्याकाल में कार्य समाप्ति के पश्चात् अपने अन्तर्गत सभी दलों के कार्य का प्रतिवेदन तैयार कर संध्या समीक्षा बैठक में प्रस्तुत करते हैं। गतिविधि से पूर्व कार्य हेतु माईक्रोप्लान बनाने तथा टीकाकर्मियों को चयनित कर प्रशिक्षण के लिए प्रेरित करने का कार्य भी पर्यवेक्षक द्वारा किया जाता है।

यह गतिविधि प्रा0 स्वा0 केन्द्र के स्तर से प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के दिशा निर्देशन तथा अनुश्रवण के आधार पर पूर्व प्रशिक्षित प्रर्यवेक्षक द्वारा की जाएगी।

यह गतिविधि सुबह 7.00 बजे से शाम के 4.00 बजे तक तथा लगातार पॉच दिनों तक चलता है।

यह गतिविधि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर बने माइक्रोप्लान के अनुसार की जाएगी जिसका उद्येश्य प्रा.स्वा.के. के अन्तर्गत आने वाले सभी घरों में रहने वाले सभी 0 से 5 वर्ष के बच्चों को पोलियो की खुराक को पिलाना है।

एक पर्यवेक्षक दो से तीन दलों के कार्य क्षेत्र का पर्यवेक्षण प्रतिदिन करता है तथा टीकाकर्मी द्वारा भरा जाने वाला टैलीशीट एवं एक्स विवरणी को प्रा.स्वा.के. पर जमा करते है।

एक पर्यवेक्षक को यह सुनिश्चित करना होता है कि माइक्रोप्लान के अनुसार 0 से 5 वर्ष के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाया जा चुका है तथा यदि घर पर एक्स का मार्क पड़ता है तो टीकाकर्मी इस घर का पुनः भ्रमण करे एवं छुटे हुए बच्चों को दवा पिलाने के बाद घर को एक्स से पी में परिवर्तित करे।

परिणामों के मूल्यांकन करने हेतु पर्यवेक्षक द्वारा पी–स्वीप प्रपत्र भरा जाता है।

इकाई राशि (रू0 लाख में)

रू.75/– प्रति दिन प्रति पर्यवेक्षक

वित्तीय दिशा निर्देशन

प्रत्येक पर्यवेक्षक को पचहत्तर रुपये प्रतिदिन की दर से मानदेय दिया जाना है। यह भुगतान अभियान (ए–टीम कार्य एवं बी–टीम कार्य) की समाप्ति तथा पर्यवेक्षक के इस प्रमाण–पत्र पर कि उनके क्षेत्र में कोई घर या कोई अप्रतिरक्षित बच्चा बचा हुआ नहीं है, के पश्चात किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाए कि जो पर्यवेक्षक प्रशिक्षण, कार्यान्वयन एवं प्रतिदिन होने वाली कार्य समीक्षात्मक (Debriefing) बैठकों में भाग नहीं लेंगे उन्हें मानदेय भुगतान नहीं किया जाना है।

इस राशि का व्यय प्रति पोलियो चक्र के आधार पर किया जाना है। कार्यक्रम की तिथि निर्धारण के पश्चात् एवं चक्र शुरू होने के पूर्व प्रखण्डवार **Annexure - 1** में प्रत्येक गतिविधि की योजना बनाकर राज्य स्वास्थ्य समिति में राज्य प्रतिरक्षण पदाधिकारी के पास भेजना अनिवार्य है। राज्य प्रतिरक्षण पदाधिकारी यह समीक्षा करेंगें कि अनुलग्नक – 1 उचित है या नही, के समीक्षोपरान्त यदि यह पाया जाता है कि अनुलग्नक 1 की गणना उचित नही है तो रा.प्रति.पदा. सम्बन्धित पदाधिकारियों से पृच्छा करेंगें। जिला स्तर पर कार्यक्रम का क्रियान्वयन के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति का पुनः अनुमोदन की आवश्यकता नही है।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रषित किया गया हो (पत्र सं. तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क) पत्रांक SHSB/RI/49/06/Part file of VIII-9639 dated 06.04.09

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का नाम

डॉ गोपाल कृष्णा

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / संलाहकार का फोन नंबर

9470003014 / 0612-2290351

वित्तीय दिशा निर्देशन

कार्यक्रम का नाम –

पल्स पोलियो अभियान

बजट/एफ0एम0आर0 शीर्ष(अनुलग्नक 1 के आधार पर)

टीका रख–रखावकर्ता का मानदेय

एफ0एम0आर0. कोड सं. CPP

बजट क्रम संख्या/एफ0एम0आर0 कोड संख्या

(अनुलग्नक 1 के आधार पर)

3

कायक्रम का संक्षिप्त विवरण (5 –10 वाक्य अधिकतम)

वैक्सीन को समय से टीकाकर्मी तथा पर्यवेक्षक तक पहुचाने हेतु प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के दिशा निर्देश पर प्रा.स्व के. के इलाके में कुछ सब–डिपो बनाये जाते हैं इनका उद्येश्य समय से सुबह में दवा पहुँचाना तथा कार्य समाप्ति के पश्चात प्रतिदिन दवा को पुनः प्रा.स्वा.के. पर वापस लाना है। प्रत्येक सब डीपो पर वैक्सीन के रखरखाव एवं व्यवस्था हेतु टीका रखरखावकर्ता का प्रावधान है।

यह गतिविधि प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के दिशा निर्देशन तथा अनुस्रवण के आधार पर पूर्व प्रशिक्षित टीका–रखरखावकर्ता द्वारा की जाएगी।

यह गतिविधि सुबह 6.00 बजे से शाम के 6.00 बजे तक तथा लगातार पॉच दिनों तक चलता है।

यह गतिविधि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर बने माइक्रोप्लान के अनुसार बने सब–डिपो पर की जाएगी।

इसका उद्येश्य प्रा.स्वा.के. से दवा को टीकाकर्मी एवं पर्यवेक्षक तक पहुँचाना तथा वापस लाना है।

यह गतिविधि प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के दिशा निर्देशन एवं अनुश्रवण द्वारा क्रियान्वित की जाएगी।

सब–डिपो होल्डर वैक्सिन के रख–रखाव के साथ वैक्सिन का हिसाब भी रखता है।

सब–डिपो होल्डर के द्वारा एक प्रपत्र भरा जाता है जिसमें दल द्वारा लिए गये एवं लौटाये गये वैक्सिन की संख्या इत्यादि अंकित होती है।

परिणामों के मूल्यांकन करने हेतु सब–डिपो होल्डर के द्वारा एक प्रपत्र भरा जाता है जिसमें दल द्वारा लिए गये एवं लौटाये गये वैक्सिन की संख्या इत्यादि अंकित होती है।

इकाई राशि (रू0 लाख में)

रू0 75/–

वित्तीय दिशा निर्देशन

टीका रख–रखावकर्ता का मानदेय : प्रत्येक सब–डिपो पर एक–एक रख–रखावकर्ता का प्रावधान है जिसे 75/–(पच्हत्तर) रुपये प्रतिदिन की दर से वास्तविक कार्य दिवसों के लिए मानदेय अनुमान्य है।

इस राशि का व्यय प्रति पोलियो चक्र के आधार पर किया जाना है। कार्यक्रम की तिथि निर्धारण के पश्चात् एवं चक्र शुरू होने के पूर्व प्रखण्डवार **Annexure - 1** में प्रत्येक गतिविधि की योजना बनाकर राज्य स्वास्थ्य समिति में राज्य प्रतिरक्षण पदाधिकारी के पास भेजना अनिवार्य है। राज्य प्रतिरक्षण पदाधिकारी यह समीक्षा करेंगें कि अनुलग्नक – 1 उचित है या नही, के समीक्षोपरान्त यदि यह पाया जाता है कि अनुलग्नक 1 की गणना उचित नही है तो रा.प्रति.पदा. सम्बन्धित पदाधिकारियों से पृच्छा करेंगें। जिला स्तर पर कार्यक्रम का क्रियान्वयन के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति का पुनः अनुमोदन की आवश्यकता नही है।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रषित किया गया हो (पत्र सं. तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क) पत्रांक SHSB/RI/49/06/Part file of VIII-9639 dated 06.04.09

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का नाम

डॉ गोपाल कृष्णा

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का फोन नंबर

9470003014 / 0612-2290351

वित्तीय दिशा निर्देशन

कार्यक्रम का नाम –

पल्स पोलियो अभियान

बजट/एफ0एम0आर0 शीर्ष(अनुलग्नक 1 के आधार पर)

वाहन एवं परिवहन

एफ0एम0आर0. कोड सं. CPP

बजट क्रम संख्या/एफ0एम0आर0 कोड संख्या
(अनुलग्नक 1 के आधार पर)

4

कायक्रम का संक्षिप्त विवरण (5 –10 वाक्य अधिकतम)

कार्यक्रम के दौरान टीकाकर्मियों तक सुदूरवर्ती इलाको में समय पर दवा पहुचाने के लिए ऐसे क्षेत्रों में सब–डीपो तथा प्रा0 स्वा0 केन्द्र एवं जिला मुख्यालय में डीपो की व्यवस्था की गई है। इन डीपो/सब–डीपो पर वैक्सीन पहुचाने के लिए वाहन पॉच दिनों के लिए अनुमान्य है।
यह गतिविधि प्रा0 स्वा0 केन्द्र पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के एवं जिला स्तर पर जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी / सिविल सर्जन के दिशा निर्देशन तथा अनुस्रवण के आधार पर कार्यान्वित की जाएगी।
यह गतिविधि सुबह 6.00 बजे से शाम के 6.00 बजे तक तथा लगातार पॉच दिनों तक चलता है।
यह गतिविधि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर बने माइक्रोप्लान के अनुसार बने सब–डिपो एवं जिला स्तर पर जिला में चल रहे अभियान के दौरान वैक्सीन की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु की जाती है।
इस गतिविधि के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि वैक्सिन समय से एवं उचित मात्रा में टीकाकर्मी एवं पर्यवेक्षक तक पहुचे एवं वापस लौटे। इसके अतिरिक्त टीकाकर्मी एवं पर्यवेक्षक के कार्यो का पदाधिकारियों द्वारा अनुश्रवण हेतु भी इसका इस्तेमाल होता हैं।
परिणामों के मूल्यांकन करने वाहन भ्रमण प्रपत्र भरा जाएगा जिससे वाहन की उपयोगिता सिद्ध की जा सकती है।

इकाई राशि (रू0 लाख में)

रू0 650/– प्रति दिन प्रति वाहन

वित्तीय दिशा निर्देशन

वाहन एवं परिवहन : जिला मुख्यालय को तीन वाहन (एक वाहन जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी को) तथा डिपो/सब–डिपो के लिए एक वाहन, 650/– रुपये प्रतिदिन की दर से वास्तविक कार्य दिवसों के लिये अनुमान्य हैं, डिपो/सब–डिपो पर सामानों की आपूर्ति के पश्चात् उसी वाहन को चिकित्सा पदाधिकारियों द्वारा प्रबन्धन में प्रयोग में लाया जायेगा।

इस राशि का व्यय प्रति पोलियो चक्र के आधार पर किया जाना है। कार्यक्रम की तिथि निर्धारण के पश्चात् एवं चक्र शुरू होने के पूर्व प्रखण्डवार **Annexure - 1** में प्रत्येक गतिविधि की योजना बनाकर राज्य स्वास्थ्य समिति में राज्य प्रतिरक्षण पदाधिकारी के पास भेजना अनिवार्य है। राज्य प्रतिरक्षण पदाधिकारी यह समीक्षा करेंगें कि अनुलग्नक – 1 उचित है या नही, के समीक्षोपरान्त यदि यह पाया जाता है कि अनुलग्नक 1 की गणना उचित नही है तो रा.प्रति.पदा. सम्बन्धित पदाधिकारियों से पृच्छा करेंगें। जिला स्तर पर कार्यक्रम का क्रियान्वयन के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति का पुनः अनुमोदन की आवश्यकता नही है।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रषित किया गया हो (पत्र सं. तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क) पत्रांक SHSB/RI/49/06/Part file of VIII-9639 dated 06.04.09

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का नाम

डॉ गोपाल कृष्णा

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का फोन नंबर

9470003014 / 0612-2290351

वित्तीय दिशा निर्देशन

कार्यक्रम का नाम –

पल्स पोलियो अभियान

बजट/एफ0एम0आर0 शीर्ष(अनुलग्नक 1 के आधार पर)

शीत–शृखंला सहायता

एफ0एम0आर0. कोड सं. CPP

बजट क्रम संख्या/एफ0एम0आर0 कोड संख्या

(अनुलग्नक 1 के आधार पर)

5

कायक्रम का संक्षिप्त विवरण (5 –10 वाक्य अधिकतम)

शीत–शृखंला सहायता : वैक्सीन की गुणवत्ता को बनाए रखने हेतु उस कम तापमान (+2°C से +8°C)पर रखना आवश्यक है ।
इस हेतु वैक्सीन को राज्य मुख्यालय से टीकाकर्मी तक पहुचाते समय विशेष वैक्सीन कैरियर में आईस पैक के साथ रखा जाना है इस हेतु आईस पैक आईस फैक्टरी से जमाया जाना है।
यह गतिविधि प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के दिशा निर्देशन तथा अनुश्रवण के आधार पर प्रा.स्वा.के. में तथा जिला स्तर पर जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी / सिविल सर्जन के द्वारा की जाएगी।
यह गतिविधि प्रतिदिन तथा लगातार पॉच दिनों तक चलता है।
यह गतिविधि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा एवं जिला स्तर पर जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी / सिविल सर्जन के द्वारा क्रियान्वित की जाएगी।
वैक्सीन की गुणवत्ता को बनाए रखने हेतु उस कम तापमान (+2°C से +8°C) पर रखना आवश्यक है।
इसके लिए प्रत्येक टीकाकर्मी एवं पर्यवेक्षक को विशेष वैक्सीन कैरियर चार आईसपैक के साथ उपलब्ध कराया जाता है जिसमें वैक्सीन रखी जाती है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक डिपो प्रतिदिन वैक्सीन को कम तापमान पर रखने के लिए कम से कम 20 आईसपैक को व्यवस्था आवश्यक है।

इकाई राशि (रू0 लाख में)

रू0 3/–

वित्तीय दिशा निर्देशन

शीत–शृखंला सहायता : प्रत्येक टीकाकर्मी दल एवं पर्यवेक्षक को चार आईस पैक प्रतिदिन तथा प्रत्येक सब–डिपो पर बीस आईस पैक प्रतिदिन अनुमान्य हैं। एक आईस पैक पर तीन रुपये तक का व्यय अनुमान्य है। आईस पैकों का प्रयोग वास्तविक कार्य दिवसों के लिए अनुमान्य है। जिला मुख्यालय को 3,000/– (तीन हजार रुपये) आईस पैक बनवाने के लिये दिये जा रहे हैं। इसका उपयोग वाक–इन–कूलर से टीका लाने इत्यादि में किया जा सकेगा।

इस राशि का व्यय प्रति पोलियो चक्र के आधार पर किया जाना है। कार्यक्रम की तिथि निर्धारण के पश्चात् एवं चक्र शुरू होने के पूर्व प्रखण्डवार **Annexure - 1** में प्रत्येक गतिविधि की योजना बनाकर राज्य स्वास्थ्य समिति में राज्य प्रतिरक्षण पदाधिकारी के पास भेजना अनिवार्य है। राज्य प्रतिरक्षण पदाधिकारी यह समीक्षा करेंगें कि अनुलग्नक – 1 उचित है या नही, के समीक्षोपरान्त यदि यह पाया जाता है कि अनुलग्नक 1 की गणना उचित नही है तो रा.प्रति.पदा. सम्बन्धित पदाधिकारियों से पृच्छा करेंगें। जिला स्तर पर कार्यक्रम का क्रियान्वयन के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति का पुनः अनुमोदन की आवश्यकता नही है।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रषित किया गया हो (पत्र सं. तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क) पत्रांक SHSB/RI/49/06/Part file of VIII-9639 dated 06.04.09

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का नाम

डॉ गोपाल कृष्णा

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का फोन नंबर

9470003014 / 0612-2290351

वित्तीय दिशा निर्देशन

कार्यक्रम का नाम –

पल्स पोलियो अभियान

बजट/एफ0एम0आर0 शीर्ष(अनुलग्नक 1 के आधार पर)

पर्यवेक्षकं के लिए परिवहन सहायता

एफ0एम0आर0. कोड सं. CPP

बजट क्रम संख्या/एफ0एम0आर0 कोड संख्या
(अनुलग्नक 1 के आधार पर)

6

कायक्रम का संक्षिप्त विवरण (5 –10 वाक्य अधिकतम)

पर्यवेक्षकों को अनुश्रवण के लिए प्रतिदिन तीन से पॉच टीकाकर्मी दल के क्षेत्र में भ्रमण करना आवश्यक है। इस हेतु पर्यवेक्षक द्वारा काफी बड़े क्षेत्र में भ्रमण किया जाता है। अतः भ्रमण में आसानी के लिए प्रतिदिन विशेष परिवहन सहायता का प्रावधान है।
यह गतिविधि प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के दिशा निर्देशन तथा अनुस्रवण के आधार पर पर्यवेक्षक के द्वारा की जाएगी।
यह गतिविधि सुबह 8.00 बजे से शाम के 6.00 बजे तक तथा लगातार पॉच दिनों तक चलता है।
यह गतिविधि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर बने माइक्रोप्लान के अनुसार बने सब–डिपो स्तर पर होगी।
यह गतिविधि प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के दिशा निर्देशन एवं अनुस्रवण द्वारा क्रियान्वित की जाएगी।
एक पर्यवेक्षक को यह सुनिश्चित करना होता है कि माइक्रोप्लान के अनुसार 0 से 5 वर्ष के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाया जा चुका है तथा यदि घर पर एक्स का मार्क पड़ता है तो टीकाकर्मी इस घर का पुनः भ्रमण करे एवं छुटे हुए बच्चों को दवा पिलाने के बाद घर को एक्स से पी में परिवर्तित करे। परिणामों के मूल्यांकन करने हेतु पर्यवेक्षक द्वारा पी–स्वीप प्रपत्र भरा जाता है।

इकाई राशि (रू0 लाख में)

रू0 100/– प्रति दिन

वित्तीय दिशा निर्देशन

वाहन एवं परिवहन : प्रत्येक पर्यवेक्षक को 100/–(सौ) रुपये प्रतिदिन परिवहन मद में वास्तविक कार्य दिवसों के लिए अनुमान्य हैं। अगर कार्य कराने के लिए परिवहन के लिए कोई अतिरिक्त प्रबन्ध आवश्यक हो तो उस पर भी आने वाले खर्च का वहन इस मद से किया जाए।

इस राशि का व्यय प्रति पोलियो चक्र के आधार पर किया जाना है। कार्यक्रम की तिथि निर्धारण के पश्चात् एवं चक्र शुरू होने के पूर्व प्रखण्डवार **Annexure - 1** में प्रत्येक गतिविधि की योजना बनाकर राज्य स्वास्थ्य समिति में राज्य प्रतिरक्षण पदाधिकारी के पास भेजना अनिवार्य है। राज्य प्रतिरक्षण पदाधिकारी यह समीक्षा करेंगें कि अनुलग्नक – 1 उचित है या नही, के समीक्षोपरान्त यदि यह पाया जाता है कि अनुलग्नक 1 की गणना उचित नही है तो रा.प्रति.पदा. सम्बन्धित पदाधिकारियों से पृच्छा करेंगें। जिला स्तर पर कार्यक्रम का क्रियान्वयन के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति का पुनः अनुमोदन की आवश्यकता नही है।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रषित किया गया हो (पत्र सं. तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क) पत्रांक SHSB/RI/49/06/Part file of VIII-9639 dated 06.04.09

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का नाम

डॉ गोपाल कृष्णा

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का फोन नंबर

9470003014 / 0612-2290351

वित्तीय दिशा निर्देशन

कार्यक्रम का नाम –

पल्स पोलियो अभियान

बजट / एफ0एम0आर0 शीर्ष(अनुलग्नक 1 के आधार पर)

आपूर्ति एवं अन्य सामग्री

एफ0एम0आर0. कोड सं. CPP

बजट क्रम संख्या / एफ0एम0आर0 कोड संख्या (अनुलग्नक 1 के आधार पर)

7

कायक्रम का संक्षिप्त विवरण (5 –10 वाक्य अधिकतम)

कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्येक बच्चे एवं भ्रमण किए गए घर को चिन्हित एवं प्रतिवेदित करने हेतु टैली शीट, अन्य फार्म, चौक, गेरु, पहचान–पत्र इत्यादि की व्यवस्था है। यह गतिविधि अभियान प्रारम्भ होने के दो दिन पहले होना है।
यह गतिविधि प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के दिशा निर्देशन तथा अनुश्रवण के आधार पर प्रा.स्वा.के. में तथा जिला स्तर पर जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी / सिविल सर्जन के द्वारा की जाएगी।
इन सामग्रियों द्वारा दलों को कार्य करने एवं कार्य के प्रतिवेदन बनाने तथा पर्यवेक्षक को अनुश्रवण करने में आसानी होती है। इस गतिविधि द्वारा टीकाकर्मी के कार्य का स्तर पता लगाया जा सकता है।

इकाई राशि (रू0 लाख में)

रू 25/– प्रति दल, प्रर्यवेक्षक, सब–डिपो होल्डर

वित्तीय दिशा निर्देशन

आपूर्ति एवं अन्य सामग्री : प्रत्येक टीकाकर्मी दल / पर्यवेक्षक को 25/– (पचीस रुपये) प्रति दल / पर्यवेक्षक की दर से जिला मुख्यालय को राशि दी जा रही है। इस मद से टैली शीट, अन्य फार्म, चौक, गेरु, पहचान–पत्र इत्यादि तैयार किये जा सकेंगे। मार्कर पेन की आपूर्ति अलग से सरकार द्वारा की जा रही है।

इस राशि का व्यय प्रति पोलियो चक्र के आधार पर किया जाना है। कार्यक्रम की तिथि निर्धारण के पश्चात् एवं चक्र शुरू होने के पूर्व प्रखण्डवार **Annexure - 1** में प्रत्येक गतिविधि की योजना बनाकर राज्य स्वास्थ्य समिति में राज्य प्रतिरक्षण पदाधिकारी के पास भेजना अनिवार्य है। राज्य प्रतिरक्षण पदाधिकारी यह समीक्षा करेंगें कि अनुलग्नक – 1 उचित है या नही, के समीक्षोपरान्त यदि यह पाया जाता है कि अनुलग्नक 1 की गणना उचित नही है तो रा.प्रति.पदा. सम्बन्धित पदाधिकारियों से पृच्छा करेंगें। जिला स्तर पर कार्यक्रम का क्रियान्वयन के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति का पुनः अनुमोदन की आवश्यकता नही है।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रषित किया गया हो (पत्र सं. तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क) पत्रांक SHSB/RI/49/06/Part file of VIII-9639 dated 06.04.09

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का नाम

डॉ गोपाल कृष्णा

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का फोन नंबर

9470003014 / 0612-2290351

372

वित्तीय दिशा निर्देशन

कार्यक्रम का नाम –

पल्स पोलियो अभियान

बजट/एफ0एम0आर0 शीर्ष(अनुलग्नक 1 के आधार पर)

प्रचार–प्रसार एवं सामाजिक उत्प्रेरण

एफ0एम0आर0. कोड सं. CPP

बजट क्रम संख्या/एफ0एम0आर0 कोड संख्या
(अनुलग्नक 1 के आधार पर)

8

कायक्रम का संक्षिप्त विवरण (5 –10 वाक्य अधिकतम)

जनता को पोलियो अभियान के प्रति जागरुक करने हेतु सभी क्षेत्रों में प्रचार प्रसार आवश्यक है। कार्यक्रम के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु प्रत्येक 40 टीकाकर्मी दलों पर एक पी.ए. सिस्टम/ रिक्शा इत्यादि का प्रावधान किया गया है।
यह गतिविधि अभियान प्रारम्भ होने के दिन किया जाना चाहिए।
यह गतिविधि प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के दिशा निर्देशन एवं अनुश्रवण द्वारा क्रियान्वित की जाएगी। इस गतिविधि के क्रियान्वयन से जनता में जागरूकता उत्पन्न होती है तथा कार्यक्रम के दौरान लोगो में वैक्सीन लेने के प्रति सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साथ ही इस जानकारी के द्वारा स्थानीय लोग भी अपने क्षेत्र में टीकाकर्मियों के आगमन की सम्भावित तिथि का पता लगा सकते है तथा न आने की स्थिति में सम्बन्धित पदाधिकारी को सूचित कर सकते है।

इकाई राशि (रू0 लाख में)

रू0 350/–

वित्तीय दिशा निर्देशन

प्रचार–प्रसार एवं सामाजिक उत्प्रेरण : प्रत्येक 40 टीकाकर्मी दलों पर एक पी.ए. सिस्टम/ रिक्शा इत्यादि का प्रावधान किया गया है। एक रिक्शा (पी.ए. सिस्टम सहित) पर 350/– रुपये प्रतिदिन खर्च का प्रावधान है। इसका उपयोग कार्यक्रम के प्रथम दिवस को किया जाना है। यह गतिविधि शहरी एवं ग्रामीण दोनो प्रकार के क्षेत्रों में की जानी है। प्रचार–प्रसार कार्य के लिये जिला टास्क–फोर्स द्वारा निर्धारित अन्य कोई कार्य भी इसी मद से किये जा सकते हैं।

इस राशि का व्यय प्रति पोलियो चक्र के आधार पर किया जाना है। कार्यक्रम की तिथि निर्धारण के पश्चात् एवं चक्र शुरू होने के पूर्व प्रखण्डवार **Annexure - 1** में प्रत्येक गतिविधि की योजना बनाकर राज्य स्वास्थ्य समिति में राज्य प्रतिरक्षण पदाधिकारी के पास भेजना अनिवार्य है। राज्य प्रतिरक्षण पदाधिकारी यह समीक्षा करेंगें कि अनुलग्नक – 1 उचित है या नही, के समीक्षोपरान्त यदि यह पाया जाता है कि अनुलग्नक 1 की गणना उचित नही है तो रा.प्रति.पदा. सम्बन्धित पदाधिकारियों से पृच्छा करेंगें। जिला स्तर पर कार्यक्रम का क्रियान्वयन के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति का पुनः अनुमोदन की आवश्यकता नही है।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रषित किया गया हो (पत्र सं. तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क) पत्रांक SHSB/RI/49/06/Part file of VIII-9639 dated 06.04.09

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का नाम

डॉ गोपाल कृष्णा

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का फोन नंबर

9470003014 / 0612-2290351

वित्तीय दिशा निर्देशन

कार्यक्रम का नाम –

पल्स पोलियो अभियान

बजट/एफ0एम0आर0 शीर्ष(अनुलग्नक 1 के आधार पर)

आकस्मिकी, कागज, कलम इत्यादि
एफ0एम0आर0. कोड सं. CPP

बजट क्रम संख्या/एफ0एम0आर0 कोड संख्या
(अनुलग्नक 1 के आधार पर)

9

कायक्रम का संक्षिप्त विवरण (5 –10 वाक्य अधिकतम)

जनता को पोलियो अभियान के प्रति जागरुक करने हेतु सभी क्षेत्रों में प्रचार प्रसार हेतु प्रचार प्रसार सामग्री यथा बैनर, पोस्टर इत्यादि की व्यवस्था है। साथ ही कार्यकम के दौरान विभिन्न प्रकार के प्रपत्रो एवं माइक्रोप्लान इत्यादि का प्रयोग किया जाता है।
आकस्मिकी व्यय यथा – बैनर टॉगना, पोस्टर साटना, प्रतिवेदन प्रपत्रों को फोटोस्टैट कराना तथा अन्य लेखन सामग्री इत्यादि की सुचारू व्यवस्था के लिए आकस्मिक व्यय राशि की व्यवस्था की गई है ।
यह गतिविधि अभियरन प्रारम्भ होने के दो दिन के पहले होना है।
यह गतिविधि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा एवं जिला स्तर पर जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी / सिविल सर्जन के द्वारा क्रियान्वित की जाएगी।
इस गतिविधि के क्रियान्वयन से दलों के कार्य करने में आसानी होती है।

इकाई राशि (रू0 लाख में)

Rs. 3000/- for DHQ and for PHC Rs. 1750/-
वित्तीय दिशा निर्देशन

आकस्मिकी, कागज, कलम इत्यादि : आकस्मिकी व्यय यथा – बैनर टॉगना, पोस्टर साटना, प्रतिवेदन प्रपत्रों को फोटोस्टैट कराना तथा अन्य लेखन सामग्री इत्यादि पर होने वाले खर्च के लिए जिला मुख्यालय को 3000/–(तीन हजार रुपये) तथा प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/ शहरी टीकाकरण क्षेत्र को 1750/– (एक हजार सात सौ पचास रुपये) दिये जा रहे हैं। इस मद में 250/– रुपये अधिक राशि आवंटित की जा रही है। इस राशि से प्रत्येक टीकाकर्मी एवं पर्यवेक्षक को उनके कार्यक्षेत्र के Microplan (Annexure-II) का फोटोकॉपी उपलब्ध कराना है। उन्हें दैनिक कार्य योजना प्रपत्र की प्रति उपलब्ध कराने की आवश्यकता नहीं हैं।

इस राशि का व्यय प्रति पोलियो चक्र के आधार पर किया जाना है। कार्यक्रम की तिथि निर्धारण के पश्चात् एवं चक्र शुरू होने के पूर्व प्रखण्डवार **Annexure - 1** में प्रत्येक गतिविधि की योजना बनाकर राज्य स्वास्थ्य समिति में राज्य प्रतिरक्षण पदाधिकारी के पास भेजना अनिवार्य है। राज्य प्रतिरक्षण पदाधिकारी यह समीक्षा करेंगें कि अनुलग्नक – 1 उचित है या नही, के समीक्षोपरान्त यदि यह पाया जाता है कि अनुलग्नक 1 की गणना उचित नही है तो रा.प्रति.पदा. सम्बन्धित पदाधिकारियों से पृच्छा करेंगें। जिला स्तर पर कार्यक्रम का क्रियान्वयन के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति का पुनः अनुमोदन की आवश्यकता नही है।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रषित किया गया हो (पत्र सं. तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क) पत्रांक SHSB/RI/49/06/Part file of VIII-9639 dated 06.04.09

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का नाम

डॉ गोपाल कृष्णा

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का फोन नंबर

9470003014 / 0612-2290351

वित्तीय दिशा निर्देशन

कार्यक्रम का नाम –

पल्स पोलियो अभियान

बजट/एफ0एम0आर0 शीर्ष(अनुलग्नक 1 के आधार पर)

टीका रख–रखावकर्ता का मानदेय

एफ0एम0आर0. कोड सं. CPP

बजट क्रम संख्या/एफ0एम0आर0 कोड संख्या

(अनुलग्नक 1 के आधार पर)

10

कायक्रम का संक्षिप्त विवरण (5 –10 वाक्य अधिकतम)

यह सुनिश्चित करना कि डीप फ्रिजर एवं आई.एल.आर. उचित तापमान पर सुचारु रुप से कार्य कर रहे हैं। यह गतिविधि जिला स्तर पर की जाती है तथा इसमें नियुक्त टीका रखरखावकर्ता प्रा0 स्वा0 केन्द्र पर प्रयुक्त टीका रखरखावकर्ता से पृथक है।

जिला स्तर पर जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी के दिशा निर्देशन तथा अनुस्रवण के आधार पर प्रशिक्षित टीका–रखरखावकर्ता द्वारा की जानी है।

यह गतिविधि प्रतिदिन 24 घंटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं जिला स्तर पर किया जाता है। जिसके तहत प्रा0स्वा0के0 स्तर पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं जिला स्तर पर जिला प्र0पदा0/सिविल सर्जन के द्वारा क्रियान्वित की जायेगी।

वैक्सीन की गुणवत्ता को बनाए रखने हेतु उस कम तापमान (+2^{0}C से +8^{0}C) पर रखना आवश्यक है।

इकाई राशि (रू0 लाख में)

रू0 75/–

वित्तीय दिशा निर्देशन

शीत–शृखंला / टीका रख–रखावकर्ता का मानदेय : जिला मुख्यालय पर पॉच, प्रखण्ड / शहरी टीकाकरण क्षेत्र मुख्यालय पर तीन तथा प्रत्येक सब–डिपो पर एक–एक रख–रखावकर्ता का प्रावधान है जिसे 75/–(पच्हत्तर) रुपये प्रतिदिन की दर से वास्तविक कार्य दिवसों के लिए मानदेय अनुमान्य है।

इस राशि का व्यय प्रति पोलियो चक्र के आधार पर किया जाना है। कार्यक्रम की तिथि निर्धारण के पश्चात् एवं चक्र शुरू होने के पूर्व प्रखण्डवार **Annexure - 1** में प्रत्येक गतिविधि की योजना बनाकर राज्य स्वास्थ्य समिति में राज्य प्रतिरक्षण पदाधिकारी के पास भेजना अनिवार्य है। राज्य प्रतिरक्षण पदाधिकारी यह समीक्षा करेंगें कि अनुलग्नक – 1 उचित है या नही, के समीक्षोपरान्त यदि यह पाया जाता है कि अनुलग्नक 1 की गणना उचित नही है तो रा.प्रति.पदा. सम्बन्धित पदाधिकारियों से पृच्छा करेंगें। जिला स्तर पर कार्यक्रम का क्रियान्वयन के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति का पुनः अनुमोदन की आवश्यकता नही है।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रषित किया गया हो (पत्र सं. तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क) पत्रांक SHSB/RI/49/06/Part file of VIII-9639 dated 06.04.09

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का नाम

डॉ गोपाल कृष्णा

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का फोन नंबर

9470003014 / 0612-2290351

375

वित्तीय दिशा निर्देशन

कार्यक्रम का नाम –

पल्स पोलियो अभियान

बजट/एफ0एम0आर0 शीर्ष(अनुलग्नक 1 के आधार पर)

वाकइन कुलर तथा उसमें वैक्सीन रख–रखाव हेतु

एफ0एम0आर0. कोड सं. CPP

बजट क्रम संख्या/एफ0एम0आर0 कोड संख्या
(अनुलग्नक 1 के आधार पर)

11

कायक्रम का संक्षिप्त विवरण (5 –10 वाक्य अधिकतम)

वाकइन कुलर तथा उसमें वैक्सीन रख–रखाव हेतु व्यय राशि का प्रावधान है।

वैक्सीन की गुणवत्ता को बनाए रखने हेतु उस कम तापमान (+2°C से +8°C) पर रखना आवश्यक है। जब वैक्सिन फैक्टरी से राज्य मुख्यालय पहुँचता है उसके बाद जिला मुख्यालय पहुँचने तक वैक्सिन को वाकइन कुलर में रखा जाता है।
यह गतिविधि राज्य स्तर पर निदेशक, पी.एच.आइ, तथा जिला स्तर पर जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी / सिविल सर्जन के द्वारा की जाएगी।

इकाई राशि (रू0 लाख में)

पटना,भागलपुर एवं सारण जिला को रू0 10000/– औरंगाबाद,मुजफ्फरपुर,पूर्वी चम्पारण एवं दरभंगा को रू015,000/– एवं सहरसा एवं पूर्णिया को रू0 20000/–

वित्तीय दिशा निर्देशन

शीत–शृखंला सहायता : दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर प्रत्येक को 15,000/–, पुर्णियां एवं सहरसा को 20,000/– (सुपौल एवं मधेपुरा जिला का वैक्सीन परिवहन हेतु), तथा पटना को 10,000/– प्रत्येक टीकाकर्मी दल एवं पर्यवेक्षक को चार आईस पैक प्रतिदिन तथा प्रत्येक सब–डिपो पर बीस आईस पैक प्रतिदिन अनुमान्य हैं। एक आईस पैक पर तीन रुपये तक का व्यय अनुमान्य है। आईस पैकों का प्रयोग वास्तविक कार्य दिवसों के लिए अनुमान्य है। जिला मुख्यालय को 3,000/– (तीन हजार रुपये) आईस पैक बनवाने के लिये दिये जा रहे हैं। इसका उपयोग वाक–इन–कूलर से टीका लाने इत्यादि में किया जा सकेगा।

इस राशि का व्यय प्रति पोलियो चक्र के आधार पर किया जाना है। कार्यक्रम की तिथि निर्धारण के पश्चात् एवं चक्र शुरू होने के पूर्व प्रखण्डवार **Annexure - 1** में प्रत्येक गतिविधि की योजना बनाकर राज्य स्वास्थ्य समिति में राज्य प्रतिरक्षण पदाधिकारी के पास भेजना अनिवार्य है। राज्य प्रतिरक्षण पदाधिकारी यह समीक्षा करेंगें कि अनुलग्नक – 1 उचित है या नही, के समीक्षोपरान्त यदि यह पाया जाता है कि अनुलग्नक 1 की गणना उचित नही है तो रा.प्रति.पदा. सम्बन्धित पदाधिकारियों से पृच्छा करेंगें। जिला स्तर पर कार्यक्रम का क्रियान्वयन के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति का पुनः अनुमोदन की आवश्यकता नही है।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रषित किया गया हो (पत्र सं. तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क) पत्रांक SHSB/RI/49/06/Part file of VIII-9639 dated 06.04.09

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का नाम

डॉ गोपाल कृष्णा

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का फोन नंबर

9470003014 / 0612-2290351

वित्तीय दिशा निर्देशन

कार्यक्रम का नाम –

पल्स पोलियो अभियान

बजट / एफ0एम0आर0 शीर्ष(अनुलग्नक 1 के आधार पर)

टीका ले जाने हेतु

एफ0एम0आर0. कोड सं. CPP

बजट क्रम संख्या / एफ0एम0आर0 कोड संख्या
(अनुलग्नक 1 के आधार पर)

12

कायक्रम का संक्षिप्त विवरण (5 –10 वाक्य अधिकतम)

जिला मुख्यालय को वाक इन कूलर पटना से टीका ले जाने हेतु 2000 रुपये तथा प्रत्येक प्रखण्डं को जिला मुख्यालय से टीका ले जाने हेतु 1000 रुपये राशि का प्रावधान है यह गतिविधि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर प्रभारी चिकित्स पदाधिकारी द्वारा एवं जिला स्तर पर जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी / सिविल सर्जन के द्वारा क्रियान्वित की जाएगी।
यह गतिविधि अभियान प्रारम्भ होने के एक या दो दिन पहले कार्यान्वित की जाती है।
यह गतिविधि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर एवं जिला स्तर पर किया जाता है।
यह गतिविधि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा एवं जिला स्तर पर जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी / सिविल सर्जन के द्वारा क्रियान्वित की जाएगी।
वैक्सीन की गुणवत्ता को बनाए रखने हेतु उसे प्रत्येक स्तर पर वैक्सिन रखने वाले सामग्री का तापमान
($+2^{0}$C से $+8^{0}$C) पर रखना आवश्यक है।

इकाई राशि (रू0 लाख में)

प्रति प्रा0स्वा0 के0 रू0 1000/– एवं जिला मुख्यालय रू0 2000/–

वित्तीय दिशा निर्देशन

जिला मुख्यालय को 2,000 (दो हजार) रुपये अपने–अपने वाक–इन–कूलर से टीका लाने के लिए तथा प्रत्येक प्राथमिव स्वास्थ्य केन्द्र को 1,000 (एक हजार) रुपये अपने जिला मुख्यालय से टीका इत्यादि लाने के लिये परिवहन मद में अनुमान्य हैं।

इस राशि का व्यय प्रति पोलियो चक्र के आधार पर किया जाना है। कार्यक्रम की तिथि निर्धारण के पश्चात् एवं चक्र शुरू होने के पूर्व प्रखण्डवार **Annexure - 1** में प्रत्येक गतिविधि की योजना बनाकर राज्य स्वास्थ्य समिति में राज्य प्रतिरक्षण पदाधिकारी के पास भेजना अनिवार्य है। राज्य प्रतिरक्षण पदाधिकारी यह समीक्षा करेंगें कि अनुलग्नक – 1 उचित है या नही, के समीक्षोपरान्त यदि यह पाया जाता है कि अनुलग्नक 1 की गणना उचित नही है तो रा.प्रति.पदा. सम्बन्धित पदाधिकारियों से पृच्छा करेंगें। जिला स्तर पर कार्यक्रम का क्रियान्वयन के लिए
राज्य स्वास्थ्य समिति का पुनः अनुमोदन की आवश्यकता नही है।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रषित किया गया हो (पत्र सं. तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क) पत्रांक SHSB/RI/49/06/Part file of VIII-9639 dated 06.04.09

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का नाम

डॉ गोपाल कृष्णा

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का फोन नंबर

9470003014 / 0612-2290351

वित्तीय दिशा निर्देशन

कार्यक्रम का नाम –

पल्स पोलियो अभियान

बजट / एफ0एम0आर0 शीर्ष(अनुलग्नक 1 के आधार पर)

दूर–दराज वाले इलाके में टीका परिवहन हेतु
एफ0एम0आर0. कोड सं. CPP

बजट क्रम संख्या / एफ0एम0आर0 कोड संख्या
(अनुलग्नक 1 के आधार पर)

13

कायक्रम का संक्षिप्त विवरण (5 –10 वाक्य अधिकतम)

कार्यकम के दौरान टीकाकर्मियों तक सुदूरवर्ती इलाको में समय पर दवा पहुचाने के लिए ऐसे क्षेत्रों में जहाँ सब–डीपो की व्यवस्था नहीं है वहाँ जैसे नॉव इत्यादि का उपयोग करना पड़ता है वैसे इलाकों के लिए तथा प्रा0 स्वा0 केन्द्र एवं जिला मुख्यालय में डीपो की व्यवस्था की गई है। इन डीपो / सब–डीपो पर वैक्सीन पहुचाने के लिए वाहन पॉच दिनों के लिए अनुमान्य है।
यह गतिविधि सुबह 6.00 बजे से शाम के 6.00 बजे तक तथा लगातार पॉच दिनों तक चलता है।
यह गतिविधि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर बने माइक्रोप्लान के अनुसार बने सब–डिपो एवं जिला स्तर पर जिला में चल रहे अभियान के पर्यवेक्षण हेतु किया जाना है।
यह गतिविधि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा एवं जिला स्तर पर जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी / सिविल सर्जन के द्वारा क्रियान्वित की जाएगी।
इस गतिविधि के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि वैक्सिन समय से एवं उचित मात्रा में टीकाकर्मी एवं पर्यवेक्षक तक पहुचे एवं वापस लौटे। इसके अतिरिक्त टीकाकर्मी एवं पर्यवेक्षक के कार्यों का पदाधिकारियों द्वारा अनुश्रवण हेतु भी इसका इस्तेमाल होता हैं।
परिणामों के मूल्यांकन करने वाहन भ्रमण प्रपत्र भरा जाएगा जिससे वाहन की उपयोगिता सिद्ध की जा सकती है।

इकाई राशि (रू0 लाख में)

प्रखण्ड के आवश्यकतानुसार
वित्तीय दिशा निर्देशन

इस गतिविधि में प्रतिदिन 1500 रूपये प्रतिवाहन (नाव, टैक्टर इत्यादि) की दर से **प्रा0 स्वा0 केन्द्र के स्तर पर Annexure - 1** में उल्लिखित आवश्यकता के अनुसार राशि अनुमोदित है।

इस राशि का व्यय प्रति पोलियो चक्र के आधार पर किया जाना है। **कार्यक्रम की तिथि निर्धारण के पश्चात् एवं चक्र शुरू होने के पूर्व प्रखण्डवार Annexure - 1** में प्रत्येक गतिविधि की **योजना बनाकर राज्य स्वास्थ्य समिति में राज्य प्रतिरक्षण पदाधिकारी** के पास भेजना अनिवार्य है। राज्य प्रतिरक्षण **पदाधिकारी यह समीक्षा करेंगें** कि अनुलग्नक – 1 उचित है या नही, के समीक्षोपरान्त यदि यह पाया जाता है कि अनुलग्नक 1 **की गणना उचित** नही है तो रा.प्रति.पदा. सम्बन्धित पदाधिकारियों से पृच्छा करेंगें। जिला स्तर पर कार्यक्रम का **क्रियान्वयन के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति** का पुनः अनुमोदन की आवश्यकता नही है।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रषित किया गया हो (पत्र सं. तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क) पत्रांक SHSB/RI/49/06/Part file of VIII-9639 dated 06.04.09

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का नाम

डॉ गोपाल कृष्णा

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का फोन नंबर

9470003014 / 0612-2290351

वित्तीय दिशा निर्देशन

कार्यक्रम का नाम –

पल्स पोलियो अभियान

बजट/एफ0एम0आर0 शीर्ष(अनुलग्नक 1 के आधार पर)

बी–दल कार्य

एफ0एम0आर0. कोड सं. CPP

बजट क्रम संख्या/एफ0एम0आर0 कोड संख्या (अनुलग्नक 1 के आधार पर)

14

कायक्रम का संक्षिप्त विवरण (5 –10 वाक्य अधिकतम)

ए–दल कार्य के पश्चात बचे हुए एक्स–घरों की अधिक संख्या को ध्यान में रखते हुए इस चक्र में भी बी–दल कार्य क प्रावधन किया गया है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक घर–घर दल तथा पर्यवेक्षक अपने कार्यक्षेत्र में दो आधे–आधे दिन में का सम्पन्न करेंगें प्रथम आधे दिन दोपहर बाद कार्य आरम्भ करेंगे तथा दूसरे आधे दिन सुबह कार्य प्रारम्भ कर दोपहर तक कार्य पूरा कर लेंगे।

इस कार्य हेतु दो सब–डिपो क्षेत्र पर एक वाहन परिवहन हेतु उपयोग में लाया जाएगा।

अभियान समाप्ति के पश्चात प्रथम आधे दिन दोपहर बाद कार्य आरम्भ करेंगे तथा दूसरे आधे दिन सुबह कार्य प्रारम्भ कर दोपहर तक कार्य पूरा कर लेंगे।

यह गतिविधि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा क्रियान्वित की जाएगी।

यह सुनिश्चि करना है कि अभियान समाप्ति के पश्चात एक्स घरों में कोई भी बच्चा जो 0 से 5 वर्श का हो पोलियो र्क दवा पीने स वंचित तो नहीं रह गया है।

इकाई राशि (रू0 लाख में)

पूर्व की तरह टीकाकर्मी, र्प्यवेक्षक, वाहन आदि के लिए।

वित्तीय दिशा निर्देशन

बी–दल कार्य : ए–दल कार्य के पश्चात बचे हुए ग–घरों की अधिक संख्या को ध्यान में रखते हुए इस चक्र में भी बी–दल कार्य का प्रावधन किया गया है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक घर–घर दल तथा पर्यवेक्षक अपने कार्यक्षेत्र में दो आधे–आधे दिन में कार्य सम्पन्न करेंगें प्रथम आधे दिन दोपहर बाद कार्य आरम्भ करेंगे तथा दूसरे आधे दिन सुबह कार प्रारम्भ कर दोपहर तक कार्य पूरा कर लेंगे तथा इस कार्य के लिए 2 सब–डिपो पर एक वाहन उपलब्ध होगा। प्रत्येक सदस्य को 75/– रुपये एवं पर्यवेक्षक को 75/– रुपये मानदेय तय किया गया है। प्रत्येक पर्यवेक्षक को 100/– (सौ रूपये) परिवहन मद में अनुमान्य होगा। आइस पैक व वाहन के लिए राशि तय दर (3/– रू प्रति आईसपैक एवं 650/– रू प्रति वाहन प्रतिदिन) पर उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 500 रु. प्रति पी.एच.सी. / यू.भी.ए. आकस्मिकी व्यय के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है।

इस राशि का व्यय प्रति पोलियो चक्र के आधार पर किया जाना है। कार्यक्रम की तिथि निर्धारण के पश्चात् एवं चक्र शुरू होने के पूर्व प्रखण्डवार **Annexure - 1** में प्रत्येक गतिविधि की योजना बनाकर राज्य स्वास्थ्य समिति में राज्य प्रतिरक्षण पदाधिकारी के पास भेजना अनिवार्य है। राज्य प्रतिरक्षण पदाधिकारी यह समीक्षा करेंगें कि अनुलग्नक – 1 उचित है या नही, के समीक्षोपरान्त यदि यह पाया जाता है कि अनुलग्नक 1 की गणना उचित नही है तो रा.प्रति.पदा. राज्य स्वास्थ्य समिति का पुनः अनुमोदन की आवश्यकता नही है।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रषित किया गया हो (पत्र सं. तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क) पत्रांक SHSB/RI/49/06/Part file of VIII-9639 dated 06.04.09

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का नाम

डॉ गोपाल कृष्णा

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का फोन नंबर

9470003014 / 0612-2290351